

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


:: प्रपत्र - 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापक संस्कृत स्कूल शिक्षा को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवर्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	विषय	विद्यालय का नाम	जन्म तिथि	सर्वान्वृत्त तिथि
1	MAN SINGH CHAUDHARY	Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAHNERA (217186) (08070506506) BHARATPUR	2/6/1960	30-06-2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिकों (क्रम सं. 09 के अतिरिक्त) के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 18 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(सौरन स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-1/संस्कृत/सेवानिवृत्ति/2020-21
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही वावत् प्रेषित है :-

दिनांक: 27.04.2020

- 1 सम्बंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
- 2 संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- 3 उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
- 4 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
- 5 सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 6 संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक से 10 रु के स्टाम्प पर न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने का शपथ पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को पंजीकृत डाक से अविलम्ब भिजवायें।
- 7 संबंधित कार्मिक
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर